

## परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में विभाजित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के ब्यौरे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ उनका सार दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक (2017-18), संशोधित अनुमान (2018-19) और बजट अनुमान (2019-20) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण मोटे तौर पर राज्यों को अपने वित्त साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिदेशित हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये विवरण देश की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

2017-18 के लिए वास्तविक आंकड़े अनंतिम हैं।